राजस्थान सरकार

कार्यालय, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः एफ.6( )लेखा/सीटीएडी/क्रय/कम्प्यूटर/2020–21/4375 दिनांकः 05-02-2021

खुली निविदा सूचना – 05/2020–21

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा कम्प्यूटर सामग्री क्रय हेतु निम्नानुसार खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सामग्री का विवरण</th><th>अनुमानित लागत</th><th>निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कम्प्यूटर आईट्म्स (Laptop, Desktop Computers and Scanner)
<table>
<tr><th>Item Name</th><th>Unit</th></tr>
<tr><td>1. Laptop i5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2. Desktop Computer i5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>3. Desktop Computer i3</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4. All in One Desktop computer i5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5. Scanner</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>8 लाख</td><td>400/–</td></tr>
<tr><td colspan="2">निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय</td><td colspan="2">From 05.02.2021 at 5.00 PM
To 15.02.2021 at 1.00 PM</td></tr>
<tr><td colspan="2">निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय</td><td colspan="2">15.02.2021 at 3.00 PM</td></tr>
<tr><td colspan="2">निविदा खोलने की दिनांक एवं समय</td><td colspan="2">15.02.2021 at 4.00 PM</td></tr>
</table>

सामान्य शर्तेः–

1. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली घोषणा–पत्र के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली घोषणा–पत्र वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के अनुसरण में अनिवार्यतः जमा कराना होगा।
3. बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं बोली प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in (राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल) अथवा http://www.tad.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाता के द्वारा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रू. 400/– का डी. डी/बैंकर्स चैक आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के नाम से संलग्न कर तकनीकी बोली से पूर्व आयुक्तालय में जमा कराना होगा।
4. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को होगा।
6. तकनीकी बोली प्रपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य दस्तावेज :–
   (a) निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र राशि।
   (b) बोली प्रपत्र।
   (c) बोली के साथ में दिनांक 01.01.2021 तक अथवा अंतिम GST चुकता प्रमाण पत्र ।
   (d) बिक्री कर/GST पंजीयन प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।

(e) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति ।

(f) तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।

(g) क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता होने का वैध प्रमाण–पत्र।

(h) सप्लाई किये जाने वाले सामान का जहां आवश्यक हो विवरण अंकित किया जावें।

(i) अनुभव के संबंध में फर्म द्वारा गत 5 वर्षों में राजकीय विभागों/संस्थाओं में कम्प्यूटर सामग्री सप्लाई कार्य का विवरण दिया जाना चाहिये अथवा संतोषजनक कार्य संपादन की प्रति प्रस्तुत की जावें।

(j) फर्म को अपना बैंक खाता संख्या मय आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम एवं शाखा अंकित की जानी होगी।

(k) फर्म को गत 3 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) का समेकित बिक्री टर्नओवर राशि रू. 12.00 लाख से कम का नहीं होना चाहिये। इस हेतु अंकेक्षित लेखे संलग्न किये जाने आवश्यक है।

(l) क्रय की जाने वाली सामग्री की वारंटी अवधि निविदा में निर्धारित अवधि से कम नहीं होगी।

7. तकनीकी बोली के सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली पर विचार किया जावेगा।
8. बोली में आंमत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
9. MSME बोलीदाता को बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त करने के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं संशोधन दिनांक 29.08.2018 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।
10. सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। सामग्री का क्रय राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसार किया जा सकेगा ।
11. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 सभी प्रावधान एवं समय – समय किये संशोधन प्रभावशील होंगे।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर